an>

Title: Regarding designating a seperate court for divorce related matters.

SHRIMATI HEMAMALINI (MATHURA): My matter is about the divorce in India. Marriage is a beautiful institution which is totally based on love and respect for each other, that is, between man and woman. विवाह एक बहुत ही खूबसूरत और मधुर सम्बन्ध की शुरूआत है।...(व्यवधान) स्त्री और पुरूÂष गाड़ी के दो पहिए जैसे हैं।...(व्यवधान) जो समान रूप से चलते रहते हैं।...(व्यवधान) लेकिन कभी-कभी, कहीं-कहीं कड़वाहट में बदल जाने की वजह से यह सम्बन्ध जारी नहीं रह पाता है।...(व्यवधान) माँ-बाप, सगे-सम्बन्धी और दोस्तों के कितना ही समझाने के बाद भी यह सम्बन्ध असम्भव हो जाता है।...(व्यवधान) आजकल की पीढ़ी की यंग लड़कियाँ इसको बहुत फेस कर रही हैं।...(व्यवधान) वे इस सम्बन्ध को कायम नहीं रख पा रही हैं।...(व्यवधान) वे डिवोर्स चाहते हैं।...(व्यवधान) लेकिन जब न्यायालय में डिवोर्स के लिए जाते हैं तो उनके डिवोर्स का केस दस-दस साल तक चलता है।...(व्यवधान) जबकि golden period of their life goes wasted in this struggle. उनका समय चला जाता है।...(व्यवधान) अगर उन्हें जल्दी से जल्दी डिवोर्स मिलेगा तो वे दोबारा अच्छी तरह से अपने जीवन की शुरूआत कर सकते हैं।...(व्यवधान)

महोदया, मैं सदन के माध्यम से यही कहना चाहती हूँ कि डिवोर्स केस में जल्द से जल्द निर्णय लेने के लिए एक अलग कोर्ट नियमित किया जाए।...(व्यवधान) जहाँ पर जल्द से जल्द इन लोगों को मुक्ति मिले।...(व्यवधान) इन लड़कियों को मुक्ति मिले ताकि वे अपना जीवन वापस शुरू कर सकें। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरो प्रसाद मिश्र, श्री रोड़मल नागर, श्री पी.पी.चौधरी, श्री सुधीर गुप्ता और कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्रीमती हेमामालिनी जी द्वारा उठाए गए विÂषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।